No. NRLM-50/2020-21-RDD-MMIBS—48
Himachal Pradesh State Rural Livelihood Mission,
Rural Development Department, H.P.

Dated Shimla 8th **April, 2022**

From

The Director,
Rural Development Department,
Himachal Pradesh Shimla-9.

To

All the Deputy Director-cum-Project Officers,
of DRDAs in Himachal Pradesh.

Subject: - **Regarding one year extension for the implementation of Mukhya Mantri 1 Bigha Scheme for the Financial Year 2022-23.**

Sir/Madam,

Kindly refer to the subject cited above, it is to inform you that the **Mukhya Mantri One Bigha Scheme** has been extended for Financial Year 2022-23 (01.04.2022 to 31.03.2023).

The terms and conditions of the scheme will remain the same as mentioned in letters No. NRLM-01/2016-17-RDD (Livelihood)-61 dated 15.05.2020 and NRLM-01/2016-17-RDD (Livelihood)-255-259 dated 28.05.2020 (copies enclosed).

This is for kind information please.

Encls. : - As above

Yours faithfully,

(Anil Sharma, H.A.S)
Chief Executive Officer,
H.P. State Rural Livelihood Mission,
Rural Development Department, H.P
☎: 0177-2626400, 2629900
✉: nrlmhp@gmail.com

Endst. No. : - As above **Dated** 8th **April, 2022**

Copy to:-

1. The Joint Director, MGNREGA Cell, RDD, Himachal Pradesh, Shimla-9 for information please.
2. The Joint Director, Department of Panchayati Raj, Himachal Pradesh, Shimla-9 for information please.
3. All the Block Development Officers, Development Blocks in Himachal Pradesh for information and necessary action please.

(Anil Sharma, H.A.S)
Chief Executive Officer,
H.P. State Rural Livelihood Mission,
Rural Development Department, H.P
☎: 0177-2626400, 2629900
✉: nrlmhp@gmail.com

संख्याः NRLM-01-/2016-17-RDD(LIVELIHOOD)- 61
हिमाचल प्रदेश सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज

प्रेषक:

निदेशक एवं विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज,
हिमाचल प्रदेश, 171009.

प्रेषित,

१. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार।
२. समस्त अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, हि॰ प्र॰।
३. समस्त उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हि॰ प्र॰।
४. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, पंचायती राज विभाग, हि॰ प्र॰।
५. समस्त खंड विकास अधिकारी, हि॰ प्र॰।

दिनांकः शिमला - 171009 15 मई 2020

विषयः हिमाचल प्रदेश राज्य ग्राम आजीविका मिशन के अंतर्गत 'मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना' का क्रियान्वयन।

महोदय,

जैसा की विदित ही है कि कोरोना महामारी संक्रमण के कारण कई लोगों के रोजगार उपार्जन पर अत्यधिक विपरीत असर पड़ा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में संगठित कुल 18,500 से अधिक सहायता समूहों से जुड़ी सभी ग्रामीण महिलाओं को सतत आजीविका अर्जित करने व समग्र विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्रारम्भिक सत्तर पर मुख्य 'मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना' का क्रियान्वयन निम्न आधार पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए किया जाएगा:

1. यह योजना आरंभिक चरण में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ही स्वीकृत होगी।
2. इस योजना की कुल अधिकतम लागत प्रति लाभार्थी ₹ 1 लाख निर्धारित है। उक्त धनराशि का प्रबंधन मनरेगा के अंतर्गत किया जाएगा तथा इसे यथा निर्धारित 60:40 के अनुपात से ही व्यय किया जाएगा (60% मजदूरी घटक व 40% सामग्री घटक) तथा सामग्री घटक से ही बीज इत्यादि को खरीदा जाएगा।
3. इस योजना में इच्छुक स्वयं सहायता समूहों की ऐसी महिलाओं जिनके पास शाक वाटिका (kitchen gardening) योग्य पारिवारिक भूमि उपलब्ध है उनके द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन किया जाएगा।
4. लाभार्थियों को इस योजना का लाभ अधिकतम 1 बीघा जमीन पर शाक वाटिका (kitchen gardening) हेतु प्राप्त होगा। यदि इससे अधिक भूमि पर लाभार्थी यह कार्य करना चाह रहें हैं उस परिस्थिति में अतिरिक्त व्यय के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. विभाग के कर्मचारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शाक वाटिका (kitchen gardening) के इच्छुक परिवारों का मनरेगा में जॉब कार्ड बना हो, अगर जॉब कार्ड नहीं बना है तो बनाना सुनिश्चित करें। इस कार्य के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी ग्राम रोज़गार सेवक, पंचायत सचिव एवं NRLM विकास खण्ड कौरडिनेटर की होगी तथा आवेदन के 3 दिनों में ऐसे लाभार्थियों का पंजीकरण करना ग्राम रोजगार सेवक दायित्व होगा। कृपया ध्यान रहे की यह प्रक्रिया अनिवार्य तौर पर 27 मई तक पूरा किया जाना अनिवार्य है।
6. संबन्धित ग्राम पंचायत की यह बाध्यता होगी कि याचिका कर्ता की प्रार्थना पर वांछित कार्यवाही करते हुए 3 दिनों के भीतर स्वीकृत प्रस्ताव (Resolution) खण्ड विकास अधिकारी को अनिवार्य तौर पर प्रस्तुत करें। इस दौरान यदि ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन करना सम्भाव नहीं हो उस परिस्थिति में कार्योत्तर मंजूरी अगली पंचायत मीटिंग में ली जाए। पंचायत प्रधान की यह भी ज़िम्मेदारी होगी कि यह प्रक्रिया सुचारु, नियमबद्ध व बिना किसी भेदभाव से पूर्ण किया जाए।

7. मुख्य मंत्री । बीघा योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य कार्यों को वर्ष 2020-21 मनरेगा शेल्फ में सम्मिलित करने की ज़िम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी की होगी। दिनांक 21 अप्रैल 2020 को जारी पत्र संख्या एस.एम.एस.-I /2019-20-आर.डी.डी. के अनुसार निदेशक एवं आयुक्त (मनरेगा) द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि "यदि कोई बेरोज़गार ग्रामीण व्यक्ति जो मनरेगा के अन्तर्गत अपनी व्यक्तिगत भूमि पर काम करने का इच्छुक है तो उसे मनरेगा के अन्तर्गत काम करने कि अनुमति दी जा सकती है, चाहे वह कार्य ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों कि सूचि में शामिल न हो तथा संबन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इन कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति मनरेगा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी"।

8. मुख्य मंत्री । बीघा योजना में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची व मद संख्या निम्न है :

क. भूमि सुधार मद संख्या: 62 (A)/ 60 (B)

ख. पौधशाला निर्माण मद संख्या: 176 (B)

ग. फलदार पौधा रोपण मद संख्या: 127

घ. केंचुआ खाद के लिए गढ़ा खोदना व पक्का बनाना मद संख्या: 86 (D)/83 (D)

ङ. अजोला के लिए गढ़ा खोदना व पक्का बनाना मद संख्या: 244 (B)

अतः इस संदर्भ में आप से अनुरोध किया जात हैं कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा शाक वाटिका (Kitchen Gardening) से संबन्धित प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2020-21 के मनरेगा शेल्फ में सम्मिलित करें तथा इस योजना को हर ग्राम पंचायत में कार्य रूप देना सुनिश्चित करें। यद्धपि आपकी सुविधा व इस योजना के तेजी से कार्यान्वयन के लिए अस्थायी अनुमान व नमूना संलग्न किया जाता है।

संलग्न: अस्थायी अनुमान (Model Estimate) व नमूना

भवदीय,

ललित जैन (भा० प्र० से०),
निदेशक ग्रा०वि० एवं पं०रा०वि० एवं आयुक्त मनरेगा,
दूरभाष: +91-177-2623814

प० संख्या: - NRLM-01-/2016-17-RDD(LIVELIHOOD) दिनांक: 15 मई, 2020

प्रति लिपियाँ प्रेषित: -

1. संयुक्त निदेशक, मनरेगा सेल, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश।
2. संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त NRLM विकास खण्ड कर्मी एवं विकास खण्ड कोऑर्डिनेटर, हिमाचल प्रदेश, को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्यवाई हेतु।
4. समस्त ग्राम प्रधान, समस्त ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश, को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्यवाई हेतु।
5. समस्त ग्राम पंचायत सचिव, हिमाचल प्रदेश, को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्यवाई हेतु।
6. समस्त ग्राम रोजगार सेवक, हिमाचल प्रदेश, को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्यवाई हेतु।
7. गार्ड फ़ाइल

ललित जैन (भा० प्र० से०),
निदेशक ग्रा०वि० एवं पं०रा०वि० एवं आयुक्त मनरेगा,
दूरभाष: +91-177-2623814

संख्या: NRLM-01-/2016-17-RDD(LIVELIHOOD)-255-259

हिमाचल प्रदेश सरकार,

ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज

प्रेषक

निदेशक एवं विशेष सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज,

हिमाचल प्रदेश, 171009.

प्रेषित,

1. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, हि॰ प्र॰।
3. समस्त उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हि॰ प्र॰।
4. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, पंचायती राज विभाग, हि॰ प्र॰।
5. समस्त खंड विकास अधिकारी, हि॰ प्र॰।

दिनांक: शिमला - 171009 28 मई 2020

विषय: हिमाचल प्रदेश राज्य ग्राम आजीविका मिशन के अंतर्गत 'मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना' का क्रियान्वयन।

महोदय,

मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना के संदर्भ में इस कार्यालय के दिनांक: 15 मई 2020 को भेजे गए पत्र संख्या: NRLM-01- / 2016-17-RDD (Livelihood) / 61 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 23 मई 2020 को हुई ZOOM VC में खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा दिये गए सुझावों के आधार पर निम्नलिखित परिवर्तन और परिवर्धन किए जा रहे हैं।

- पूर्ववृत्त में भेजे गए पत्र के विंदु 5 के अंतिम पद "कृपया ध्यान रहे की यह प्रक्रिया अनिवार्य तौर पर 27 मई तक पूरा किया जाना अनिवार्य है" को संशोधित करते हुए इस योजना की पंजीकरण सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए खोल दिया गया है तथा पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ायी गयी है। अब कोई भी स्वयं सहायता समूह की महिला वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन ग्राम पंचायत कार्यालय में जा कर आवेदन कर सकती है।
- पूर्ववृत्त में भेजे गए पत्र के विंदु 8 "मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची में निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य जोड़े जा रहे हैं:

च. पशु धन आश्रय जैसे कि - गौ शाला, बकरी खलिहान और मुर्गी घर निर्माण संबन्धित कार्य

छ. जल संचयन संबन्धित कार्य

ज. सिंचाई जैसे कि - कूल या ग्राम में नेहर निर्माण संबन्धित कार्य

➢ इसी संदर्भ में आवेदन हेतु प्रार्थना पत्र संलग्न किया गया है।

संलग्न → उपरोक्त।

भवदीय,

सी॰ एल॰ वर्मा,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
दूरभाष: +91--98163-70382

प॰ संख्या: - NRLM-01-/2016-17-RDD(LIVELIHOOD) - 260 - 266 दिनांक: 28th मई, 2020

प्रति लिपियों प्रेषित: -

1. संयुक्त निदेशक, मनरेगा सेल, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश।
2. संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त NRLM विकास खण्ड कर्मी एवं विकास खण्ड कोऑर्डिनेटर, हिमाचल प्रदेश, को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. समस्त ग्राम प्रधान, समस्त ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश, को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. समस्त ग्राम पंचायत सचिव, हिमाचल प्रदेश, को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. समस्त ग्राम रोजगार सेवक, हिमाचल प्रदेश, को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. गार्ड फ़ाइल

सी॰ एल॰ वर्मा,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
दूरभाष: +91-98163-70382

Scanned with CamScanner

मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु प्रार्थना पत्र

मैं (आवेदक का नाम).. ; पत्नी / पुत्री (पति/ पिता का नाम) .... ; जाती (वर्ग).. ; BPL संख्या (अगर BPL में है तो) .... ; (समूह का नाम) ...., स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ जिसकी पंजीकरण संख्या .... है। मेरा मेरेगा जॉब कार्ड नंबर बना है .... ; मेरा पूरा पता .... गांव .... ग्राम पंचायत .... है, और मेरा दूरभाष न०.............. .... है।

मैं मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना में मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित स्वीकृत कार्यों को करना चाहती हूँ I

(जो कार्य करना चाहते है उन्हें चुनें ✓)

- ☐ भूमि सुधार।
- ☐ पौधशाला निर्माण।
- ☐ फलदार पौधा रोपण।
- ☐ केंचुआ खाद के लिए गड्ढा खोदना व पक्का बनाना।
- ☐ अजोला के लिए गड्ढा खोदना व् पक्का बनाना ।
- ☐ पशु धन आश्रय निर्माण से संबन्धित कार्य जैसे कि - गौ शाला, बकरी खलिहान और मुर्गी घर इत्यादि।
- ☐ जल संचयन संबन्धित कार्य ।
- ☐ सिंचाई से संबन्धित कार्य जैसे कि - कूल या ग्राम में नैहर निर्माण।

निवेदक /प्रार्थी के हस्ताक्षर

भूमि का विवरण

खता न०..................... ; खतौनी न०........................ ; खसरा न०.................. ;

मोहाल व् मौजा न०...............; कुल क्षेत्रफल .... बीघा

☐ में अपनी भूमि जिसका विवरण ऊपर लिखा है, पर इस योजना का लाभ लेना चाहती हूँ, (पर्चा संलग्न):

☐ मैं अपनी पारिवारिक भूमि जिसका विवरण ऊपर लिखा है, पर यह कार्य करना चाहती हूँ, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न है (पर्चा संलग्न):

मैं .... ऊपर दिये भूमि विवरण का भूस्वामी हूँ, अतः मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना में कार्य करने वाली महिला मेरी .... है। मैं किसी भी अनुचित दबाव और बलप्रयोग के बिना, और अपनी स्वेच्छा से, इस अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वारा प्रार्थी को कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति दे रह हूँ।

भूस्वामी के हस्ताक्षर

मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु प्रार्थना पत्र

स्वयं सहायता समूह

यह प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य है एवं मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना के अंतर्गत कार्य करने हेतु इच्छुक है।

प्रधान स्वयं सहायता समूह (मोहर व् हस्ताक्षर)

ग्राम पंचायत

यह ग्राम पंचायत ऊपर दिये विवरण से संतुष्ट है तथा लाभार्थी (नाम) .... को मुख्य मंत्री 1 बीघा योजना का उचित प्रत्याशी के रूप में स्वीकारती है तथा प्रस्ताव संख्या................ .... को पारित करती है जिसकी अनुमानित लागत ₹......... ..../- है।

प्रधान स्वयं सहायता समूह (मोहर व् हस्ताक्षर)